दिनांक–19.06.2013 को Core Strategy Group (C.S.G.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न (परिशिष्ट–1)।

1. CSG द्वारा विभिन्न विषयों पर किये गये विमर्श एवं निदेशों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र०	विषय	विमर्श एवं निदेश
1.	झालको को कल्याणकारी संस्था का स्वरूप देना।	अभियंता प्रमुख– II द्वारा Presentation किया गया। झारखण्ड में स्थापित झालको के 321 परियोजनाओं एवं अन्य संसाधनों को As is Where is basis पर लेकर उन योजनाओं का पुर्नस्थापन कर WUAs को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु योजनाओं का सर्वे तुरन्त कर उन्हें WUAs को हस्तान्तरित करने हेतु पुर्नस्थापन का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। पुर्नस्थापन, प्रस्ताव प्राथमिकता अनुसार विभिन्न फेज में दिये जा सकते है। इसके लिए पूरक बजट में प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है। तत्काल झारखण्ड सरकार एवं WUA के बीच परियोजना के हस्तान्तरण हेतु एक Model Agreement का प्रारूप तैयार करने का निदेश दिया गया जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। झालको में कार्यरत 170 पंप चालकों एवं पंप चौकीदारों को दूसरे ऐसे विभागों में जो उनसे कार्य लेकर उन्हे वेतन देने की जिम्मेवारी उठा सके, की संभावना तलाश करने का निदेश दिया गया इससे झालको पर पड़नेवाला वेतन का वित्तीय भार कम हो सकेगा। झालको को जुलाई के अंत तक अंकेक्षण कार्य पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया। झालको बोर्ड का तुरन्त पुर्नगठन किया जाये, जिसमें कम से कम दो विशेषज्ञ सदस्यों तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों यथा जनजातीय कल्याण आयुक्त, निदेशक पर्यटन को शामिल किया जाये, ऐसा निदेश दिया गया। झालको को अन्य विभागों में भी एजेन्सी के रूप में कार्य कर Management fees प्राप्त कर अपने वित्तीय स्थिति सुधार करने की संभावना को तलाश करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को वेतन देना संभव हो सके। (EIC –II & Chairman, Jhalco)

2.	डोमनी नाला बराज योजना के निर्माण की शुरूआत करना।	मुख्य अभियंता, मेदनीनगर ने शीघ्र शुरूआत की दृष्टि से इस योजना को Turn-Key पर कराने का सुझाव दिया। उनके मतानुसार इससे कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकेगा, अन्यथा विभागीय प्रक्रियाओं यथा केन्द्रीय रूपांकण से नक्शा स्वीकृत कराने एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में समय लगेगा। विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अभियंता प्रमुख–I, परामर्शी– I एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, इस विषय पर एक बैठक कर समाधान निकालेगें एवं पुनः इस विषय पर CSG की अगली बैठक में चर्चा की जायेगी।
3.	साहेबगंज के पूरे गंगातट के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में।	मुख्य अभियंता, रूपांकण द्वारा स्थल भ्रमण उपरान्त बताया गया कि समर्पित मास्टर प्लान में 2008 की Satellite imaragry का उपयोग किया गया है। इस बीच नदी के regime में हुए परिवर्त्तन को स्पष्ट करने हेतु उन्होनें संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक वर्ष Satellite imaragry प्राप्त कर उस पर मास्टर प्लान तैयार करने का निदेश दिया है। वैसे भी इस प्रकार की बड़ी नदी के लिए मास्टर प्लान की तैयारी पर उनकी आपत्ति उन्होने प्रकट की। बाढ़ की तैयारी हेतु उन्होंने इस वर्ष TAC द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की उपयोगिता पर विश्वास जताया एवं TAC द्वारा इस वर्ष की बाढ़ से बचाव हेतु स्वीकृत कार्य नहीं कराये जाने की सूचना दी। प्रधान सचिव की पृच्छा पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि एकल निविदा के कारण कार्य नहीं कराये जा सके। प्रधान सचिव ने दूसरी बार निविदा आमंत्रित नहीं करने का कारण जानना चाहा एवं अभियंता प्रमुख–I को निदेशित किया कि वे कारण पता कर इसका निदान प्रस्तावित करेंगे (EIC-I)
4.	दिनांक 11.06.2013 को हुये CSG बैठक में विमर्शित अन्य मुद्दे जो बैठक की कार्यवाही में क्रमांक 2 से 22 तक एवं क्रमांक–24 पर वर्णित है।	दिनांक 25.06.2013 को होनेवाली अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किये जायेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०
(एस०के० शतपथी)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011–525..................................... / राँची, दिनांक– 20.06.2013

प्रतिलिपि : प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना यूनिट, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / देवघर / मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / अग्रिम योजना / (यांत्रिक), राँची / रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका / संयुक्त सचिव, (प्रभारी निगरानी) / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (सभी को e-mail पर प्रेषित)

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..................................... / राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि :अभियंता प्रमुख–I / अभियंता प्रमुख–II, / परामर्शी–I / परामर्शी–II, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3 / प्रभारी सुवर्णरेखा डेस्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक : .2 / PMC / CSG–69 / 2011..................................... / राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन विभाग) के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची / विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची / प्रभारी, सभागार, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

प्रतिलिपि : वेब मैनेजर, बेवसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)